


नम्बर व
अहकाम
डुकम की
में जारी

डुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर
अहकाम
डुकम
में

21/6/23

पत्रावली सिगहे से अधिबन्त) वादी के निवेदन पर तलब होकर प्रशासन गाँवों के संग अभिग्रान मरमी में पेश हुई। अधिबन्त) वादीयाएवं वादीयांस्वग्रं हाजिर। प्रतिवादी सं. 2 हाजिर। अधिबन्त) वादी द्वारा प्राथनी फा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उभयपक्ष के मध्य आपसी समझाइश हो जाने से वाद पत्रों आगे कोई कारवाई नहीं चाहते हैं। पत्रावली का अवलोकन किया मनन किया। वादीयाँ स्वग्रं अप-ने वाद पत्र से आगे कारवाई नहीं चाहते हैं। एमि स्थिति से वादीयाँ का निवेदन उचित प्रतीत होने से वादीयाँ का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 RTA 1955 को विश्राल से खारिज किया जाता है। पत्रावली की गणना निर्गति इन्द्रज कि जाकर बाद आवश्यक कारवाई अभिलेखागार भेजी जावे। नि-गणें खले मजमें आम प्रशासन गाँवों के संग अड्डि-ध्यान  विर मरमी में सुनाया गया।

21/6/23

मंभील
21/6/23

(नीत-बरीदा)

सहायक कलेक्टर
(उपडाण्ड अधिकारी),
राशमी